न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेष सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 179/2021

2021 / 420

वादी :–

1) फुसे खां पुत्र मेहरे खां

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1) हबीब खां पुत्र मेहरे खां

2) राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री फुसे खां स्वंय वादी।
2..श्री हबीब खां प्रतिवादीगण
3) तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 28/10/2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काष्त की भूमि खेत खसरा नं 290/158 रकबा 48-00 बीघा, सरहद मौजा गोपड़ी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काष्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम मुसे खां होने से राजस्व रेकर्ड में मुसे खां दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, राषन कार्ड में वादी का नाम फुसे खां पुत्र मेहरे खां दर्ज है। वादी को किसान कार्ड बनाने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज मुसे खां के स्थान पर फुसे खां पुत्र मेहरे खां सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेष सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जवाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम मुके खां .... के स्थान पर फुसे खां पुत्र नेहरे खां .... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच नायब तहसीलदार पचपदरा तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं 220/158 रकबा 48-00 ...... बीघा, सरहद मौजा ढोमड़ी तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम मुके खां दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्धसरकारी दस्तावेजो सरपंच ग्राम पंचायत ~~समसीन~~ ढोमड़ी एवं तहसीलदार पचपदरा की जाच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम मुके खां दर्ज किया गया है वादी का सही नाम फुसे खां .... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं 220/158 .... रकबा 48.00 .... बीघा, सरहद मौजा ढोमड़ी ......

वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम मुके खां .... पुत्र नेहरे खां ... के स्थान पर फुसे .... पुत्र नेहरे खां .... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेषित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिष्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2021 .... **को कोर्ट केम्प कोर्ट** ढोमड़ी .... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
सहायक कलक्टर
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:49:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner